Form No. - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत

प्रार्थिया :- पैली देवी पुत्री जेठाराम निवासी सा० बिलावास बनाम सरकार जरिए तहसीलदार, सोजत (पैण्ड शेल्टर) जिला पाली

किस्म मुकदमा राजस्व प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 136 नं. 344 / सन् 2018

CR Act, 1956.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24-09-2018	अधिवक्ता प्रार्थिया उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थिया ने राजस्व प्रा० पत्र विरुद्ध अप्रार्थी सरकार जरिए तहसीलदार, सोजत अन्तर्गत धारा 136 CR Act 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा बिलावास पट्टा बिलावास तहसील-सोजत में खसरा नम्बर 2114, 2124, 2152, 2163, 2226, 2229, 2333, व 2341 कुल किता 8 रकबा 0.3300 हेक्टेयर किस्म चारा I, जाफ, बंजड़ आसिस्त है। मौजा बिलावास तहसील-सोजत में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 296, 884 व 1278 कुल किता 3 रकबा 0.5202 हेक्टेयर बारानी स्थित है उक्त कृषि भूमि अर्थात् वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थिया की माताश्री हनाई व जेठाराम पुत्र कामरा: 1/2 हिस्सा तथा हनाई व जेठाराम पुत्र कामरा: 1/2 हिस्सा तथा सम्पूर्ण रकबा हकूक खातेदारी के कब्जे काश्तकार है, किन्तु वर्तमान जमाबन्दी में हनाई के स्थान पर सजाई नाम अंकित है। उक्त वर्णित कृषि भूमि बिलावास में अलावा सरहद मौजा तहसील व जेठाराम के नाम प्रार्थिया की माताश्री हनाई देवी व जेठाराम के नाम से दर्ज भूमि है जिसमें प्रार्थिया की माताश्री हनाई के स्थान पर प्रार्थिया के नाम खातेदारी विरासतन हो चुकी है। प्रार्थिया की माताश्री हनाई पत्नी जेठाराम का स्वर्गवास दिनांक 18.10.2012 को हो चुका है। उक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थिया की माताश्री का नाम राजस्व रेकर्ड में हनाई के स्थान पर सरवर्ज से हनाई दर्ज हो जाने से उक्त कृषि भूमि प्रार्थिया के नाम नामान्तरण दर्ज करने में बाधा व परेशानी उत्पन्न हो रही है। प्रार्थिया की माताश्री का मूल प्रमाण-पत्र भी जेठाराम के नाम से है। राजस्व रेकर्ड में हनाई के स्थान पर सजाई गलत दर्ज हो चुका है। जिसके स्थान पर हनाई दर्ज किया जाना आवश्यक, न्यायोचित एवं न्याय संगत है। चूंकि प्रार्थिया की माताश्री का हनाई एवं सजाई दोनों के नाम से दोस्तवाल की भाषा में जाना पहचाना जाता था जिससे राजस्व रेकर्ड में	

P.T.O.

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

सगाई नाता देने का किया गया जबकि देने
वाले से मौजा-बिलावास में प्रार्थी पर एक ही
महिला की तथा प्रार्थिया एक भाई विधिक वारिसान की
उक्त कृषि भूमि पर काबिज काश्त प्रार्थिया की
सत्ता का था तथा वर्तमान में प्रार्थिया का कोई
भाई व स्वामी के कानूनन वारिस की सम्पत्ति
पर्याप्त में प्रार्थिया के नाम हस्तान्तरण लेख नहीं
होने से प्रार्थिया को प्राप्त होने वाली हकाधिकार
से अवरुद्ध हो रही है जिससे राजस्व रिकार्ड में
सगाई के स्थान पर हकार देने किया जाना आवश्यक
एवं न्याय संगत होने से उक्त विवाहित कृषि भूमि
(ए तथा B में वर्णित) में देने स्वतंत्र सगाई के स्थान
जोरावर के स्थान पर हकार पाने हेतु जोरावर
पुत्र स्वर्गीय देने किये जाने की हेतु शपथ
उसका राजस्व प्रपत्र देने संशोधन किया जाना
तथा राजस्व प्रपत्र में वर्णित नाम जोरावर प्रपत्र
में या जोड़े नाम वर्णित सगाई, सगाई
तलक किया जावे। अपीली तहसीलदार, सोजत
जोरावर प्रपत्र पेश करना नहीं चाहते जोरावर
बन्द किया जाता है। कार्यवाहक प्रार्थी एवं
अपीली तहसीलदार, सोजत का सुना गया
पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं
गया। प्रस्तुत प्रपत्र कार्यवाहक द्वारा हाजरात पूर्वक
शपथ-पत्र एवं हस्तावेजात का अध्ययन तथा
अध्ययन किया गया तथा वस्तुतः प्रस्तुत मामले
में यह मनन किया गया वस्तुतः प्रस्तुत
मामले में प्रस्तुत हस्तावेजात जोरावर की खसरा 646,
2074-2077 खाता सं० 586 की कुल खसरा 646,
713-717, 720, 721, 726, 734-737, 741-744,
2253 व 2254 रकबा 36.6200 हे०-से० जोरावर ही देने
की विरासत प्रार्थिया का हकार दोनों जोरावर ही देने
की मूल खाता प्रार्थिया द्वारा प्रार्थित भूमि के वर्तमान
में मूल खाता सं० 1-ए व बी में वर्णित भूमि के वर्तमान
में पट्टा सं० 1-ए व बी में वर्णित जोरावर के
राजस्व रिकार्ड में यथावत: सगाई के स्थान पर कार्यवाहक
शपथ देने प्रविष्टि के स्थान पर
प्रार्थिया का प्रपत्र धारा 136 खा०अ० किया
जाकर वास्तविक व सही हकार जोरावर
पुत्र देने अवधारित जाना उचित समझते हैं।

— आदेश —

अतः कार्यवाहक प्रार्थिया का प्रस्तुत प्रपत्र
अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व
अधिनियम, 1956 का खारिज किया जाता
है। मौजा-बिलावास तहसील-सोजत
में स्थित खसरा नम्बर 2114, 2124, 2152,
2163, 2226, 2229, 2333, व 2341 कुल
किता 8 रकबा 01.3300 हे०-से० चा०प्र०, जो०का०,
बंजड़ तथा खसरा नं० 796, 884 व 1274 कुल
किता 3 रकबा 01.5200 हे०-से० चा०प्र० जो०

लगातार —

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में गलत खुर्द से प्रतिस्थापित की जाती या दर्ज नाम सम्बन्धी अथवा जोखाराम के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम एवं देवी अथवा जोखाराम कुलगत पूर्वजों दर्ज किये जाने के तहसीलदार सोजत को अधिकृत कर आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार सोजत द्वारा तहरीर के साथ उक्त निर्णय की प्रमाणित छायाप्रति भेजी जाकर पालना अंगवाई आवश्यक मसल खुमार होकर नम्बर से बसु हो बाद तामील वापस जाकर दाखिल दफ्तर लेखक नकल जमा हो।	तहरीर 846 30/10/18
(अपूर्व स्वामी) उप खण्ड अधिकारी सोजत।	
निर्णय आज दिनांक 24-09-2018 को सरे इजलास सिरवाया जाकर सुनाया गया।	
(अपूर्व स्वामी) उप खण्ड अधिकारी सोजत।	
उपखण्ड अधिकारी सोजत (जिला-पाली) राज.	

Scanned by CamScanner